भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 959

दिनांक 13.12.2022/ 22 अग्रहायण, 1944 (शक) को उत्तर के लिए

एक राष्ट्र-एक वर्दी

†959. श्री बिद्युत बरन महतो:

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

श्री प्रतापराव जाधव:

श्री सुब्रत पाठक:

श्री सुधीर गुप्ता:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश में 'एक राष्ट्र-एक वर्दी' की अवधारणा के माध्यम से राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में पुलिस और सुरक्षा बलों के ड्रेस कोड में एकरूपता लाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में सामने आ रही चुनौतियों का अध्ययन किया है और इसके लिए कोई रुपरेखा तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ कोई परामर्श किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ड.) क्या सरकार का प्रभावी पुलिसिंग के लिए पुराने कानूनों की समीक्षा और संशोधन करने तथा मानवीय बुद्धिमत्ता को सुदृढ़ करने का भी विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) क्या सरकार का पूरे देश में 'एक समान कानून और व्यवस्था नीति' लागू करने का भी विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) के तहत "पुलिस" राज्य का विषय है।

राज्यों की पुलिस के लिए एक समान वर्दी (यूनिफार्म) के मुद्दे पर विचार करने के मद्देनजर राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के गृह मंत्रियों के 'चिंतन शिविर' में चर्चा की गई, ताकि कानून प्रवर्तन के लिए पुलिस को समान पहचान दी जा सके जिससे नागरिक देश में कहीं भी पुलिस कार्मिकों की पहचान कर सके। "पुलिस" राज्य का विषय होने के नाते, राज्यों की वर्दी के हिस्से के रूप में उनका अपना प्रतीक और बैज रख सकते हैं।

.....2/-

(ङ) और (च): राज्यों के पुलिस बल मौजूदा विधिक और संस्थागत ढांचे के अंतर्गत कार्य करते हैं। मौजूदा नियमों की समीक्षा और कार्यात्मक आवश्यकता पर इसका संशोधन एक सतत प्रक्रिया है। चूंकि, "पुलिस" राज्य का विषय है, इसलिए पुलिस बल को कुशल एवं योग्य बनाने और उनकी कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावकारी एवं पारदर्शी बनाने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। केंद्र सरकार आधुनिकीकरण के लिए निधियां प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है, विभिन्न मामलों पर एडवाइजरी जारी करती है और राष्ट्रीय मानदंडों एवं प्रक्रियाओं का निर्धारण करती है।

गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को आदर्श पुलिस अधिनियम, 2006 परिचालित किया था, जिसमें लोक व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों पर विचार करते हुए पुलिस की भूमिका, कार्यप्रणाली, कर्तव्य और जिम्मेदारियों के प्रावधान निहित हैं।

******